

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 फरवरी, 2012

संख्या का०आ० 10/ह०अ० 6/2003/घा० 60/2012.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उपधारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 5/ह०अ० 6/2003/घा० 60/2011, दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2012, कहे जा सकते हैं।
(2) ये नियम राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 47 में, उप नियम (1) में, विद्यमान तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

"तालिका

क्रम संख्या	भट्टे की क्षमता	प्रवर्ग	कर के बदले में भुगतानयोग्य एकमुश्त राशि
1	2	3	4
1.	33 संख्या की घोड़ी से अधिक क्षमता वाला ईट भट्टा	+क	₹3,09,210/- जमा घोड़ी से तथा ₹10,765/- प्रति अतिरिक्त घोड़ी
2.	28 से 33 संख्या की घोड़ी की क्षमता वाला ईट भट्टा	क	₹3,09,120/-
3.	22 से 27 संख्या की घोड़ी की क्षमता वाला ईट भट्टा	ख	₹2,41,500/-
4.	22 संख्या से कम घोड़ी की क्षमता वाला ईट भट्टा	ग	₹1,93,200/-
5.	30 सितम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान न जलाया गया ईट भट्टा जिसमें पिछले वर्ष के प्रथम अक्तूबर को भट्टे के अन्दर तथा बाहर सभी प्रवर्गों की ईटों का स्टॉक पांच लाख से अधिक न हों।	घ	₹48,300/-

टिप्पण :—यदि कोई भट्टा दो स्थानों पर जलाए जाने वाले आकार का है, तो ऐसे भट्टे के मालिक द्वारा भुगतानयोग्य एक मुश्त राशि की दर उपरोक्त दरों से दुगुनी होगी।"

रमेन्द्र जाखू,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**Notification**

The 3rd February, 2012

No. S.O. 10/H.A. 6/2003/S. 60/2012.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (3) of Section 60 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003) and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. Web. 5/H.A. 6/2003/S. 60/2011, dated the 28th December, 2011, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. In the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, in rule 47, in sub-rule (1), for the existing table, the following table shall be substituted, namely :—

"Table

Serial Number	Capacity of Kiln	Category	Lump sum amount payable in lieu of tax
1	2	3	4
1.	Brick kiln of capacity of more than 33 number of Ghori	+ A	₹ 3,09,120/- plus ₹ 10,765/- per additional Ghori above 33 Ghori
2.	Brick kiln of capacity of 28 to 33 number of Ghori	A	₹ 3,09,120/-
3.	Brick kiln of capacity of 22 to 27 number of Ghori	B	₹ 2,41,500/-
4.	Brick kiln of capacity of below 22 number of Ghori	C	₹ 1,93,200/-
5.	Brick kiln not fired during the year ending 30th September in which stock in and outside the kiln as on 1st October of last year, did not exceed five lakh bricks of all categories.	D	₹ 48,300/-

Note :— if a kiln is designed to be fired at two places, the rate of lump sum payable by the owner of such kiln shall be double of the aforesaid rates .".

RAMENDRA JAKHU,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.